मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा (पंचम तल) विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. 1115-मप्रविनिआ—2012.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) (जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 3042 दिनांक 9 नवम्बर 2010 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जिसे दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किया गया है, को निम्नानुसार संशोधित / परिवर्धित करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में द्वितीय संशोधन / परिवर्धन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 (एआरजी—33 (I) (ii), वर्ष 2012)"** कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

1.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे.

2. **विनियम 4, 5, 7 एवं 10 में संशोधन.**—मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जिसे एतद् पश्चात् **प्रधान विनियम** कहा गया है, के विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जावेगा, अर्थात् :—

(i) प्रधान विनियम में विनियम 4.1 के अन्तर्गत शब्दों "नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन को सम्मिलित करते हुए" को शब्द "सह-उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से", प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(ii) प्रधान विनियम में विनियम 4.2 के अन्तर्गत शब्दों "नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह-उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए" को शब्द "सह-उत्पादक सहित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से", प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(iii) प्रधान विनियम में विनियम 5 के अन्तर्गत शब्दों "विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से" को शब्द "सह-उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से", प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(iv) प्रधान विनियम में विनियम 7.1 एवं 10 के अन्तर्गत शब्दों "नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन तथा सह-उत्पादन" को शब्द "सह-उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन", प्रतिस्थापित किया जायेगा.

3. **विनियम 9 में परिवर्धन.**—प्रधान विनियम में विनियम-9 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा,—

"9. 10 मेगावाट एवं अधिक की सामूहिक क्षमता वाले पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादक तथा 5 मेगावाट एवं अधिक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र के अनुसूचीकरण पर उचित निर्देश, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विषय पर निर्णय लेने के पश्चात्, जारी किये जावेंगे तथा ग्रिड संहिता में आवश्यक प्रावधानों को समाविष्ट किया जाएगा."

3. **विनियम 16 में परिवर्धन.**—प्रधान विनियम में विनियम 16.2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश प्रतिस्थापित किया जायेगा,—

"16.3 गैर परंपरागत स्त्रोतों से विद्युत खरीदी के लिये विभिन्न टैरिफ आदेशों एवं अन्य विनियमों में इस संशोधन के अधिसूचित होने के पूर्व कुछ भी विपरीत बात के होते हुए भी इन विनियमों के उपबंध सह-उत्पादन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन पर लागू होंगे.".

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, Dated 9th April 2012

No. 1115-MPERC-2012.—In exercise of the powers under Section 181(2) (zp) read with Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment / addendum in MPERC (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations, 2010 notified in Madhya Pradesh Gazette *vide* No. 3042 dated 9th November, 2010 and published on 19th November, 2010.

SECOND AMENDMENT/ADDENDUM TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (COGENERATION AND GENERATION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY) (REVISION - I) REGULATIONS, 2010

1. **Short Title and Commencement.**—1.1 These Regulations may be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 [ARG-33(I)(ii) of 2012].

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of Government of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall apply to the whole of the Madhya Pradesh State.

2. **Amendment to Regulation 4, 5, 7 and 10.**—In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010, hereinafter called the Principal Regulations, the following shall be amended, namely :—

(i) In the Principal Regulations, under Regulations 4.1 the words "Co-generation from Renewable Sources of electricity" shall be substituted by the word "Co-generation".

(ii) In the Principal Regulations, under Regulations 4.2 the words "Co-generators from Renewable Sources" shall be substituted by the word "Co-generators".

(iii) In the Principal Regulations, under Regulations 5 the words "Co-generation from Renewable Sources of Energy" shall be substituted by the word "Co-generation".

(iv) In the Principal Regulations, under Regulations 7.1 and 10 the words "Co-generation from Renewable Sources" shall be substituted by the word "Co-generation".

3. **Amendment to Regulations 9.**—In the Principal Regulations, the Regulation 9 shall be substituted as under :—

"9. **Scheduling of Co-generation and Renewable Sources of Energy.**—Appropriate directives shall be issued on scheduling of Wind Electric Generators with collective capacity of 10 MW and above and Solar Generating Plants with capacity of 5 MW and above after the issue is decided by the CERC and necessary provisions in the Grid Code are incorporated."

4. **Addendum to Regulation 16.**—In the Principal Regulations, the following shall be inserted after Regulations 16.2 :—

"16.3 The provisions of these Regulations shall be applicable to the Co-generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy notwithstanding anything contrary contained in various Tariff Orders for procurement of power from Non-conventional Sources of Energy and other Regulations prior to notification of this amendment." .

By order of the Commission,
P. K.CHATURVEDI, Commission Secy.